अनुसूची 14 प्रपत्र सं0 563 ।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	

7/5/15

न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, जहानाबाद

आपूर्ति अपील वाद संख्या–15/डी0एम0/2014

तुलसी महतो वनाम सरकार

आदेश

यह अपील आवेदन तुलसी महतो, पिता स्व0 नारायण महतो, ग्राम–नन्दनपुरा, पंचायत–पूर्वी सरेन, थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद के द्वारा आपूर्ति आरोप अभिलेख सं0–45/13 राज्य वनाम श्री तुलसी महतो में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक–28.02.14 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के आदेश ज्ञापांक–42, दिनांक–21.07.10 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–13648/2010 दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–07.08.12 को आदेश पारित कर अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के आदेश को खारिज कर दिया गया।

उपरोक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा जिला स्तरीय चयन समिति, जहानाबाद के समक्ष अनुज्ञप्ति सं0–23/2007 को पुर्नजीवित करने हेतु विचारार्थ भेजा गया। जिसे इस आशय के साथ पत्रांक–128/जि0आ0, दिनांक–08.02.13 द्वारा विक्रेता के अनुज्ञप्ति पुर्नजीवित करने के पूर्व नोटिस जारी कर संबंधित वाद की सुनवाई पूर्ण होने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हीं आवंटन जारी करने का निदेश दिया गया जिसके आलोक में अपीलार्थी को सूचना निर्गत कर तथ्य धारित स्पष्टीकरण समर्पित करने की मांग की गयी। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक–12.11.12 को स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया। स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा आपूर्ति आरोप अभिलेख सं0–45/2013 में दिनांक–28.02.14 को आदेश पारित कर अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति सं0–23/07 पुराना–06/1993 को तत्कालीक प्रभाव से रद कर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद सं0–28/डी0एम0/2013 दायर किया गया जिसमें जिला पदाधिकारी, जहानाबाद के द्वारा दिनांक–01.11.13 को आदेश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–13648/2010 में दिनांक–07.08.12 को पारित आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया गया। जिसके आलोक में दिनांक–06.11.13 को जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति सं0–06/93 पुराना एवं 23/2007 नया को पुर्नजीवित करने का निर्णय लिया गया जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद के ज्ञापांक–1334/आ0, दिनांक–14.11.13 द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित कर ज्ञापांक–1393/आ0, दिनांक–26.11.13 के द्वारा आवंटन प्रारम्भ कर दिया गया। आवंटन चालू हो जाने के पश्चात जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–13648/2010 में दिनांक–07.08.12 को पारित आदेश के दृष्टि पथ में रखते हुए अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय में स्पष्टीकरण का जवाब दिया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उसके साथ संलग्न कागजात तथा